संस्थान में
रद्दी कबाड़ इत्यादि की खरीद हेतु
निविदा प्रपत्र

निविदा सं. 36/2025–26

सम्पदा कार्यालय
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
द्वारा जारी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
सम्पदा कार्यालय
(भूतल), संकाय भवन एनेक्सी (दूरभाष 0512 –259 7166 , 7327)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
सम्पदा कार्यालय

निविदा संख्या व दिनांक	36/2025–26 दिनांक 09.12.2025
कार्य/सेवा का नाम	रद्दी–कबाड़ खरीदने का कार्य
कार्यस्थल	भा.प्रौ.सं. कानपुर परिसर
बयाना राशि (ई.एम.डी.)	रू0 10000/–
मसिक लाइसेंस शुल्क	रू 3500/–
मसिक सफाई व अन्य शुल्क	रू0 500/–
धरोहर राशि	रू0 50000/–
अनुबंध की अवधि	दो वर्ष के लिए। प्रदर्शन के आधार पर एक और वर्ष के लिए अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है।
कार्यावधि	प्रातः 8:.00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	31.12.2025 को अपरान्ह 4:00 बजे तक
निविदा जमा करने का स्थान	सम्पदा कार्यालय, भा.प्रौ.सं. कानपुर–208016
तकनीकी बोलियॉ खोलने की तिथि और समय	अलग से सूचित किया जाएगा।
वित्तीय बोलियॉ खोलने की तिथि और समय	अलग से सूचित किया जाएगा।
निविदा खुलने का स्थान	सम्पदा कार्यालय, भा.प्रौ.सं. कानपुर–208016
निविदा डाउनलोड करने का वेब लिंक	www.iitk.ac.in/estateoffice/tender

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय

(भूतल) संकाय भवन एनेक्से, फोनः 0512–259–7166 / 7327, ईमेलः eoffice@iitk.ac.in

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (एतद्पश्चात् 'संस्थान' के रूप में उल्लेख किया गया है) की स्थापना संसद द्वारा की गई है जिसे निगमित निकाय के रूप में सम्मिलित किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एक्ट 1961 के तहत संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है। संस्थान प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है।

पृष्ठ संख्या–2 के अनुसार संस्थान रद्दी–कबाड़ इत्यादि निर्धारित दर पर खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को अपने स्वामित्व / प्रभुत्व के तहत इस प्रकार के कार्य को लाइसेंस के आधार पर संचालित करने के लिए देना चाहता है जिनके पास इस प्रकार के कार्य करने का अनुभव हो और संस्थान समुदाय की सम्बन्धित जरूरतों की पूर्ति कर सके।

तद्नुसार, सीलबंद बोली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की ओर से इच्छुक पार्टियों से परिसर में उपरोक्त स्थान पर इस तरह के कार्य करने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

आवेदक द्वारा विधिवत भरे गए निर्धारित निविदा प्रपत्र को सम्पदा कार्यालय में पृष्ठ संख्या–2 में दिये गए समय एवं दिन के अनुसार निविदा बॉक्स में डाल सकते है।

1. प्राप्त निविदाएं पृष्ठ संख्या–2 में उल्लिखित समयानुसार संस्थान की निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी। नविदाकर्ता को प्रस्तुति के लिए निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष (कार्यप्रणाली से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देने हेतु) साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है।
2. केवल तकनीकी रूप से योग्य निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोलियां ही पूर्व निर्धारित दिनांक व समय पर खोली जाएंगी।
3. संस्थान बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

प्रभारी अधिकारी, सम्पदा कार्यालय

प्रतिलिपिः

1. उपनिदेशक
2. डीन, प्रशासन व अध्यक्ष, सीईएमएमसी
3. सूचना पट्ट
4. संस्थान की वैबसाइट

निविदाकर्ता के लिए दिशानिर्देश

पात्रता मापदंडः

1. निविदाकर्ता पिछले तीन वर्षों से इस प्रकार का कार्य कर रहा हों।
2. रद्दी–कबाड़ की खरीद कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निविदाकर्ता की वित्तीय स्थिति बेहतर होनी चाहिए।
3. चरित्र प्रमाण पत्र / पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (Police Verification Certificate) जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जिसमें निविदादाता के विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज अथवा लंबित न हो तथा साथ ही कानूनन किसी दंडनीय अपराध के लिए दोषी घोषित नहीं किया गया हो।

बयाना राशि (ईएमडी):

4. प्रत्येक निविदा के साथ एक ई.एम.डी., जैसा कि पृष्ठ सं0 2 पर दिया गया है, जमा करना अनिवार्य है। उक्त ई.एम.डी. / एफ. डी.आर. / डीडी के रूप में किसी भी अनुसूचित बैंक 'Registrar, IIT Kanpur' से के नाम देय हो होनी चाहिए। ई.एम.डी. के बिना डाली गयी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। ई.एम.डी.राशि चेक के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. यदि सफल निविदाकर्ता समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी, बहानेबाजी, या इन्कार करता है तो उसके द्वारा जमा किया गया बयाना राशि क्षति के रूप में जब्त किया जा सकता है।
6. यदि सफल निविदाकर्ता अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में अपना निविदा वापस ले लेता है और जो अपनी वैधता की अवधि के भीतर अपनी निविदा स्वीकार करने के बाद अनुबंध बांड पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा किया गया बयाना धन जब्त किया जा सकता है।
7. (क) बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद असफल बोली लगाने वालों की ई.एम.डी. वापस कर दी जाएगी। सम्बन्धित निविदाकर्ता के लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ई.एम.डी. राशि लौटा दी जाएगी।
   (ख) ई.एम.डी. न्यूनतम तीन महीनों की अवधि के लिए मान्य होना चाहिए।
   (ग) सफल निविदाकर्ता की ई.एम.डी. इस निविदा में दी गई निर्धारित जमानत राशि जमा करने के बाद वापस किया जाएगा।

निविदा के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:

8. निविदाकर्ता को तकनीकी बोली (Technical bid) के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उल्लिखित दस्तावेजों के बिना यदि कोई तकनीकी बोली पायी जाती है तो उस निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
   (क) पिछले तीन वर्षो का अनुभव प्रमाणपत्र
   (ख) पिछले एक वर्ष का बैंक विवरण
   (ग) पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (Police Verification Certificate) / चरित्र प्रमाण पत्र
   (घ) आयकर प्रमाणपत्र
   (ड.) जीएसटी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो तो)
   (च) आधार कार्ड एवं पैन कार्ड

निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाः

9. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगीः **(i) तकनीकी बोली और (ii) वित्तीय बोलीः**
   (i) तकनीकी बोलीः तकनीकी बोली में सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज, ई.एम.डी. व उपरोक्त बिन्दु में दिये गए दस्तावेजों को संलग्न किया जाना अनिवार्य है। तकनीकी बोली को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए तथा जिस पर लिखा हो "**तकनीकी बोली**" साथ ही निविदाकर्ता का नाम व पता भी लिफाफे पर साफ–साफ लिखा होना चाहिए।
   (ii) वित्तीय बोलीः वित्तीय बोली, अनुलग्नक–1 में निर्धारित कीमतें है। वित्तीय बोली को एक अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर "**वित्तीय बोली**" के साथ ही निविदाकर्ता का नाम व पता भी लिफाफे पर साफ–साफ लिखा होना चाहिए।
   तत्पश्चात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों को एक अलग लिफाफे में सीलबंद किया जाना चालिए।
   एक ही लिफाफे में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली डालने वाले निविदादाता की बोली को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाएगा।
10. **पूर्ण रूप से भरी गई निविदा सम्पदा कार्यालय (भूतल), संकाय भवन एनेक्से, भा0प्रौ0सं0 कानपुर में रखे गए निविदा पेटी में, पृष्ठ सं0 2 पर किए गए निर्धारित दिन और समय के अनुसार डाला जा सकता है।**

11. पृष्ठ सं0 2 पर निर्दिष्ट तिथि एवं समय के पश्चात् कोई भी निविदा प्राप्त होती है तो उस निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण (जैसे कि डाक की गलती से निविदा जमा करने में हुई देरी) पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
12. निविदा खुलने के पश्चात् निविदा 90 दिनों के लिए वैध होगी। निविदा जमा करने के पश्चात् यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले व्यक्ति ने 90 दिन की अवधि की स्वीकृति दी है। इस प्रकार निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में उसको अपनी निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
13. निविदा दो चरणों में खोली जाएगी जो कि निम्नवत् है:

(क) चरण–1: तकनीकी मूल्यांकन:

(1) सर्वप्रथम प्राप्त सभी निविदाएँ एक समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के लिए खोली जाएंगी।

(2) तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन संस्थान द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुतिकरण/साक्षात्कार हेतु (कार्यप्रणाली से सम्बन्धित सवालों के संतुष्ट जवाब देने के लिए) गठित मूल्यांकन समिति के समक्ष उपस्थिति प्रार्थनीय है।

(3) पिछले प्रदर्शन या ब्रांड वैल्यू के आधार पर तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान सफल तकनीकी बोलीदाताओं को 0.8 से 1.2 की सीमा में मूल्य समायोजन फैक्टर दिया जायेगा।

(ख) चरण–2: वित्तीय मूल्यांकन:

(1) केवल तकनीकी रूप से योग्य निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी।

(2) अनुलग्नक–1 में निविदाकर्ता द्वारा प्रदत्त मूल्य दर को दिये गए वेट फैक्टर से गुणा करके कुल वेटेज कीमत की गणना की जाएगी।

(3) निविदा उस सफल बोलीदाता को प्रदान किया जाएगा जिनकी वित्तीय बोली सही क्रम में पायी जाएगी और जिसका योग निम्न गणनानुसार उच्चतम होगा:

(प्राप्त मूल्य समायोजन फैक्टर X वित्तीय बोली में वेटेज कीमतों का योग)

बशर्ते मौजूदा लाइसेंसधारी जो पहले से ही यह सेवा प्रदान कर रहा हो का यदि उपरोक्त गणनानुसार मूल्य अन्य बोलीदाता(ओं) के गणना मूल्य से कम आता है तो मौजूदा लाइसेंसधारी को यह सेवा प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि मौजूदा लाइसेंसधारी प्राप्त उच्चतम बोलीदाता की मूल्य दरों के बराबर मूल्य दर देने को तैयार हो और वह तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया हो।

(1) यदि वर्तमान लाइसेंसधारी का उपरोक्त परिकलित मूल्य सबसे अधिक आता है, तो निविदा मौजूदा लाइसेंसधारी को आवंटित की जाएगी। यदि नहीं, तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य दर के बराबर मूल्य देने को इच्छुक है तो उक्त निविदा मौजूदा लाइसेंसधारी को प्रदान की जाएगी।

(2) यदि मौजूदा लाइसेंसधारी उच्चतम बोली लगाने वाले की उद्धृत मूल्य दर देने में असमर्थ है तो निविदा उस बोलीदाता को प्रदान की जाएगी जिसने उच्चतम राशि उद्धृत की है।

(3) इस आशय का एक स्वीकृति/अस्वीकृति पत्र मौजूदा लाइसेंसधारी द्वारा देना अनिवार्य होगा।

निविदा को अंतिम रूप देने सम्बन्धी नियम:

14. ऐसी निविदाएं जो उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करतीं अथवा किसी भी रूप में अधूरी हैं को निरस्त माना जाएगा।
15. बिना कोई कारण बताए संस्थान के पास किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है तथा बोली लगाने वाले व्यक्ति के पास इसको चुनौती देने के अलावा कोइ अन्य अधिकार नहीं होगा।

दिनांक: ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता का नाम: ....

निविदा की अन्य नियम व शर्तें

संस्थान परिसर से पुराने समाचार पत्र पत्रिकाएँ, टीन के डिब्बे, ख्रााली बोतलें व अन्य घरेलू सामान के ठेके हेतु निविदा की नियम व शर्तें निम्नलिखित हैः

1. यह अनुबंध सफल निविदाकर्ता को उल्लिख्ति व्यवसाय को लाइसेंस के आधार पर आगे निर्दिष्ट नियम व शर्तों पर चलाने हेतु दिया जाएगा।
2. यदि निविदाकर्ता एक स्वामित्व फर्म है तो निविदाकर्ता के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और यदि निविदाकत्र्ा एक साझेदार फर्म है तो एक पार्टनर द्वारा हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। हालांकि, साझेदारी वाली फर्म के मामले में, सभी सहयोगियों से इस सम्बन्ध में एक प्राधिकरण होना चाहिए कि भागीदार के रूप में बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सभी भागीदारों की तरफ से बोली उस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
3. यदि निविदाकर्ता एक कम्पनी है, तो सक्षम प्राधिकारी/बोर्ड संकल्प द्वारा बैध प्राधिकरण पत्र होना चाहिए। उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कम्पनी की तरफ से दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर बोली देने का अधिकारी होगा।
4. यदि कोई बोली प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहीं की गई है और प्राधिकरण रहित है, तो ऐसी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
5. बोली हस्तावेज़ में कोई भी अधिलेखन या कटौती नहीं की जानी चाहिए। यदि कुछ अपरिहार्य कारणों से अधिलेखन या काटना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को बोली दस्तावेज पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर कर के प्रमाणित करना चाहिए।
6. निविदाकर्ता को निविदा पत्र में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। इस तरह के परिवर्धन और परिवर्तन को निविदाकार अपने जोखिम पर जमा करेंगे और इस तरह की निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।
7. जिस निविदाकर्ता की बोली को स्वीकार किया जायेगा, उसे दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध करार तैयार करने के लिए सम्पदा कार्यालय में 100 रूपये का गैर–न्यायिक स्टांप पेपर प्रस्तुत करना होगा।
8. अनुलग्नक–1 में मूल्य दर भारतीय रूपए में उद्धृत की जानी चाहिए जो कि जीएसटी व अन्य सरकारी करों सहित होनी चाहिए।
9. अनुज्ञप्ति की अवधि आवंटन की तिथि से दो वर्षों के लिए होगी। जबकि संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
10. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाएँ निविदा प्रपत्र के साथ रू0 10000/– का बैंक ड्राफ्ट ''कुलसचिव, भा.प्रौ.सं., कानपुर'' के नाम बयाने के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। जो भी निविदादाता रू0 10000/– का बैंक ड्राफ्ट बयाने की राशि के रूप में संलग्न नहीं करेगा उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. निविदादाता या अधिकृत प्रतिनिधि की निविदा समिति के समक्ष रद्दी व कबाड़ की खरीद सम्बन्धी कार्य प्रणाली से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने हेतु उपस्थिति प्रार्थनीय है।
12. निविदा खुलने के पश्चात् निविदा 90 दिन के लिए वैध होगी। निविदा जमा करने के पश्चात् यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले व्यक्ति ने 90 दिन की अवधि की स्वीकृति हेतु निविदा को खुला रखा जाएगा। इस प्रकार 90 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में उसको अपनी निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
13. सफल निविदादाता को अनुज्ञप्ति आवंटित होने पर रू0 50000/– की धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में ''कुलसचिव, भा. प्रौ.सं., कानपुर'' के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति अनुज्ञप्ति आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
14. अनुज्ञप्तिधारक को या अधिकार होगा की वह इस तरह की खरीद स्वयं या उसके द्वारा लिखितरूप में अधिकृत प्रतिनिधि करे। अनुज्ञप्ति धारक सभी प्रकार की सामग्री की खरीद के लिए केवल पॉच अधिकृत व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है। संस्थान के सम्पदा कार्यालय से उनके लिए प्रवेश पत्र जारी करना अनिवार्य होगा।
15. अनुज्ञप्तिधारक या उसके अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि को सप्ताह के सभी दिवसों में प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक ही कैम्पस में प्रवेश की अनुमति होगी।
16. अनुज्ञप्ति को उसकी मान्य अवधि के बीच में किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। यदि अनुज्ञप्तिधारक में किसी प्रकार का दोष पाया जाता है तो उसके द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण धरोहर राशि को जब्त किया जा सकता है।

....

17. अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अनुज्ञप्ति की नियम व शर्तों का उल्लंघन करने जैसे खरीदे गए रद्दी–कबाड़ का निर्धारित मूल्य न देना, तौलने में हेराफेरी करना, इत्यादि की दशा में संस्थान को यह अधिकार होगा की वह अनुज्ञप्तिधारक के विरूद्ध उचित कार्यवाई करे जिसमें धरोहर राशि को जब्त किया जा सकता है।
18. अनुज्ञप्तिधारक रद्दी–कबाड़ की खरीद के लिए बॉट एवं तौल नियंत्रक द्वारा अनुमोदित मानक के बॉट ही प्रयोग करेंगे।
19. तौल के लिए प्रमाणित बनावट के तौल उपकरण का ही उपयोग किय जाएगा। तौल के लिए तौल उपकरण व बॉट अनुज्ञप्तिधारक को स्वयं लाना होगा।
20. परिसरवासियों से खरीद के समय ठेले पर अनुमोदित दरों को सुचारू रूप से प्रदर्शित रहना अनिवार्य है।
21. अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञप्ति में दी गई निर्धारित दरों पर ही खरीद करना है।
22. अनुज्ञप्तिधारक परिसर के अंदर कोई भी सामान या वस्तु नहीं रखेगा और न ही परिसर में किसी प्रकार के भंडारण की छूट होगी। यद्यपि सारे दिन के रद्दी–कबाड़ की खरीद को परिसर में एक निर्धारित जगह पर इकट्ठा करने की अनुमति होगी एवं शाम तक समस्त रद्दी–कबाड़ परिसर से बाहर ले जाना अनिवार्य होगा।
23. अनुज्ञप्तिधारक को प्रतिमाह 7 तारीख तक रू0 3500/– अनुज्ञा शुल्क तथा रू0 500/– सफाई व अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।
24. संस्थान के कार्यालयों से खरीदे गए रद्दी–कबाड़ का`ले जाने से पूर्व तौल के हिसाब से निर्धारित धनराशि तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा तथा उसके पश्चात् ही सामान को बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
25. निविदादाता उपरोक्त सभी नियम व शर्तों को ध्यान में रखकर ही निविदा डाले। किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं अपूर्ण निविदा के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।
26. अवयस्क व्यक्ति निविदा देने का पात्र नहीं होगा।
27. निविदा की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय सामग्री तथा वस्तुओं की अधिकतम दरों के आधार पर लिया जाएगा।
28. संस्थान को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।
29. निविदा मिलने पर संस्थान द्वारा लिए गए सभी निर्णय मुझे पूर्ण रूप से मान्य है तथा मै साधारणतः उस विषय में किसी भी प्रकार की आपत्ति के लिए अधिकृत नहीं हूँ।
30. यदि किसी निविदादाता को निविदा आवंटित करने के उपरांत संस्थान के संज्ञान में यह आता है कि उक्त निविदादाता पात्रता से सम्बन्धित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो निविदा आवंटन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा तथा साथ ही जमा शुल्क/जमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
31. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा कानपुर नगर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र तक सीमित होगा।

दिनांकः ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता का नामः ....

निविदाकर्ता का विवरण

निविदाकर्ता का नाम	:	....
पिता का नाम	:	....
निविदाकर्ता की उम्र	:	....
निविदाकर्ता का पता	:	....
		....
		....
टेलीफ़ोन व मोबाइल नम्बर	:	....
ईमेल आईडी	:	....
आधार नम्बर (व्यक्ति की दशा में)	:	....
पैन नम्बर	:	....
जीएसटी नम्बर	:	....
कार्य अनुभव (वर्ष में)	:	....
बयाना राशि का विवरण	:	....
(क) धनराशि	:	....
(ख) एफडीआर/डीडी नम्बर	:	....
(ग) दिनांक	:	....
(घ) बैंक और उसकी शाखा	:	....

दिनांकः .... निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

अनुलग्नक–1

(एक अलग लिफाफे में रखा जाना चाहिए)

वित्तीय बोली (Financial Bid)

सेवा में,
प्रभारी अधिकारी, सम्पदा कार्यालय
भा.प्रौ.सं. कानपुर

विषयः रद्दी–कबाड़ इत्यादि के खरीद के सम्बन्ध में प्रदत्त मूल्य दर।

महोदय,

मैने रद्दी–कबाड़ इत्यादि की खरीद सम्बन्धी निविदा संख्या 36/2025–26 दिनांक 09/12/2025 के सम्बन्ध में अपनी वित्तीय बोली व प्रदत्त मूल्य दर आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ जो कि निम्नलिखित है।

निविदाकर्ता द्वारा प्रदत्त मूल्य दर

क.सं.	विवरण	मात्रक	वेट फैक्टर	मूल्य दर (₹)	
				अंकों में	शब्दों में
1	समाचार पत्र (अंग्रेजी)	प्रति कि.ग्रा.	10		
2	समाचार पत्र (हिन्दी)	प्रति कि.ग्रा.	10		
3	पुस्तिकाएँ (हिन्दी व अंग्रेजी)	प्रति कि.ग्रा.	8		
4	जेईई/गेट विभाग की विवरण व अन्य पुस्तिकाएँ	प्रति कि.ग्रा.	4		
5	छात्रों की कॉपी व किताबें	प्रति कि.ग्रा.	4		
6	कटा–फटा कागज़	प्रति कि.ग्रा.	5		
7	तेल/घी पात्र – प्लास्टिक (एक कि.ग्रा.)	प्रति नग	1		
8	तेल/घी पात्र – प्लास्टिक (दो कि.ग्रा.)	प्रति नग	1		
9	तेल/घी पात्र – प्लास्टिक (पॉच कि.ग्रा.)	प्रति नग	1		
10	तेल/घी पात्र – प्लास्टिक (पन्द्रह कि.ग्रा.)	प्रति नग	1		
11	तेल/घी पात्र – टिन (एक कि.ग्रा.)	प्रति नग	1		
12	तेल/घी पात्र – टिन (दो कि.ग्रा.)	प्रति नग	1		
13	तेल/घी पात्र – टिन (पॉच कि.ग्रा.)	प्रति नग	1		
14	तेल/घी पात्र – टिन (सोलह कि.ग्रा.)	प्रति नग	1		
15	जूट का बोरा (ग्रेड–ए)	प्रति कि.ग्रा.	1		
16	जूट का बोरा (ग्रेड–बी)	प्रति कि.ग्रा.	1		
17	जूट का बोरा (ग्रेड–सी)	प्रति कि.ग्रा.	1		
18	कॉच की बोतल	प्रति कि.ग्रा.	1		
19	प्लास्टिक की बोतल	प्रति कि.ग्रा.	3		
20	प्लास्टिक के अन्य सामान	प्रति कि.ग्रा.	3		
21	लोहा/सरिया	प्रति कि.ग्रा.	4		
22	कूलर बॉडी	प्रति कि.ग्रा.	4		
23	तंबा व तांबे का सामान	प्रति कि.ग्रा.	2		
24	पीतल व पीतल का सामन	प्रति कि.ग्रा.	2		
25	लकड़ी की पैकिंग	प्रति कि.ग्रा.	1		
26	अन्य सामान (शीशा, थर्मोकोल, इत्यादि)	प्रति कि.ग्रा.	1		

दिनांकः ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता का नामः ....